



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082021-229277
CG-DL-E-27082021-229277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]
No. 484]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2021/भाद्र 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2021/BHADRA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 596(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 287(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2021 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनसाधारण को 26 अप्रैल, 2021 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अतः, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41, धारा 50 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियम 2021 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के खंड (यघ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(यघ) “विशेष प्रयोजन यान (एसपीवी)” से माल या यात्रियों के परिवहन की विनिर्दिष्ट परिवहन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विनिर्मित या परिवर्तित मोटर यान अभिप्रेत है।’

3. उक्त नियमों के नियम 112, में उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(5) केंद्रीय मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियम 2021 के प्रारंभ की तारीख को और उसके छह मास पश्चात्, एआईएस-163 में यथा वर्णित विशेष प्रयोजन यान अर्थात् मोबाईल कैटीन, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-163:2020 में नियत अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे।

(6) केंद्रीय मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियम 2021 के प्रारंभ की तारीख को और उसके छह मास पश्चात्, प्रथम प्रतिक्रिया दो पहिया यान-अग्नि, समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस-167:2020 में नियत अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे।

(7) केंद्रीय मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियम 2021 के प्रारंभ की तारीख को और उसके एक वर्ष पश्चात्, इंसुलेटेड यान, समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस- 164:2020 में नियत अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे।

(8) केंद्रीय मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियम 2021 के प्रारंभ की तारीख को और उसके छह मास पश्चात्, सार्थ मोटर गाड़ी, समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस-124:2014 में नियत अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे।”।

4. उक्त नियमों के नियम 125-छ में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(3) केंद्रीय मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियम 2021 के प्रारंभ की तारीख को और उसके छह मास पश्चात्, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक, सार्थ मोटर गाड़ी के रूप में उपांतरित मोटर यान, समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस- 124:2014 में नियत अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे।

(4) केंद्रीय मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियम 2021 के प्रारंभ की तारीख को और उसके छह मास पश्चात्, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक, मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित एआईएस-163 में यथा वर्णित विशेष प्रयोजन यान अर्थात् मोबाईल कैटीन, समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस-163 में नियत अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे।

(5) केंद्रीय मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियम 2021 के प्रारंभ की तारीख को और उसके छह मास पश्चात्, मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित प्रथम प्रतिक्रिया दो पहिया यान-अग्नि, समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस-167 में नियत अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे।

(6) केंद्रीय मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियम 2021 के प्रारंभ की तारीख को और उसके छह मास पश्चात्, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक, मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित इंसुलेटेड यान, समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस-164 में नियत अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे।”

5. उक्त नियमों के प्ररूप 22च में “[नियम 47ख(3), 112(3), 112(4),126 देखें]” शब्दों, अंको, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर “[नियम 47ख(3), 112(3), 112(4), 112(5), 112(6), 112(7), 112(8),126 देखें]” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11036/69/2021-एमवीएल]

अमित वरादान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 575(अ), तारीख 11 अगस्त, 2021 अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th August, 2021

G.S.R. 596(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 287(E), dated the 23rd April, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 26th April, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 41, 50 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in the rules they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), for clause (zd) of rule 2, the following clause shall be substituted, namely:-

“(zd) “Special Purpose Vehicle (SPV)” means a motor vehicle so constructed or altered to serve as a specific transportation requirement of goods or passenger transport.”

3. In the said rules, in rule 112, after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(5) On and after six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2021, Special Purpose Vehicles, viz, Mobile Canteen, as described in AIS 163, shall comply with the requirements stated in AIS-163:2020, as amended from time to time.

(6) On and after six months from the date of commencement of Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2021, Two Wheeled First Responder – Fire, shall comply with the requirements stated in AIS 167:2020, as amended from time to time.

(7) On and after one year from the date of commencement of Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2021, Insulated vehicles, shall comply with the requirements stated in AIS-164:2021, as amended from time to time.

(8) On and after six months from the date of commencement of Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2021, Motor Caravans, shall comply with the requirements stated in AIS-124:2014, as amended from time to time.”.

4. In the said rules, in rule 125-G, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(3) On and after six months from the date of commencement of Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2021, motor vehicles modified as Motor Caravans shall comply with AIS 124:2014, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016).

(4) On and after six months from the date of commencement of Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2021, Special Purpose Vehicle, viz. Mobile Canteen, as defined in AIS 163, manufactured by Original Equipment Manufacturers, shall comply with the requirements of AIS 163, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016).

(5) On and after six months from the date of commencement of Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2021, Two Wheeled First Responder – Fire, manufactured by Original Equipment Manufacturer, shall comply with the requirements of AIS 167, as amended from time to time.

(6) On and after one year from the date of commencement of Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2021, Insulated Vehicle manufactured by Original Equipment Manufacturer, shall comply with the requirements of AIS 164, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016).”.

5. In the said rules, in Form 22 F, for the words, figures and brackets, “[See rules 47B (3),112(3), 112(4), 126]”, the words, figures and brackets, “[See rules 47B (3),112(3), 112(4), 112(5), 112(6), 112(7), 112(8), 126]”, shall be substituted.

[F. No. RT-11036/69/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 575(E) dated the 11th August, 2021.